भारतीय ग्रामीण शक्ति संरचना में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका

डॉ अंजू बाला शर्मा

ग्रामीण शक्ति संरचना में ग्रामीण नेतृत्व भी एक विश्व व्यापि घटना है जहां मानव समाज हैं, वहां नेतृत्व है। नेतृत्व एक सामाजिक एवं राजनैतिक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत नेता एक नवीन तरीके के नेतृत्व को स्थापित करने के लिए कृत संकल्प रहता है इसे स्पष्ट करते हुए (O Tead) ने दा आर्ट ऑफ लीडरशिप में लिखा है कि नेतृत्व एक ऐसी क्रिया हैं जिसके द्वारा वांचित लक्ष्यों की प्राप्ति लोगों को सहयोग देने के लिए प्रभावित किया जा सके ग्रामीण नेता का पद अनेक उत्तरदायित्वों व भूमिकाओं से परिपूर्ण होता है वह ग्रामीणों का पद प्रदर्शन और नीति निर्धारक होता है जो ग्रामीण समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा : –

ढिल्लों ने नेतृत्व की महत्ता के आधार पर उसे तीन प्रकारों में विभक्त किया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक।'' प्राथमिक नेताओं से उनका तात्पर्य ऐसे ग्रामीण नेताओं से है जो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि गांव के प्रत्येक प्रकरण से वे किसी न किसी रूप में सम्बन्धित होते है। जो नेता अपने गुटो में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है वे ''द्वितीयक'' नेताओं की श्रेणी में आते है तथा तृतीयक नेता छोटी रक्त सम्बन्धियों की इकाइयों जो कि सामन्यतः चार अथवा पांच परिवारों तक सीमित होती है का प्रतिनिधित्व करते है। बम्बई के एक गांव के अध्ययन में साल्वी को तीन प्रकार के नेता देखने को मिले'' अनौपचारिक'' नेता (पडौस तथा खेल समूह के नेता), ''औपचारिक नेता'' (जाति विशेष का मुखिया), पंचायत तथा सहकारी समितियों के नेता ''व्यवसायिक'' नेता (अध्यापक) बार्नबस ने उत्तर प्रदेश के एक गांव का अध्ययन किया जिसमें चार प्रकार का नेतृत्व देखने को मिला। ''जातीय नेता'', ''गुटीय नेता'', ''औपचारिक नेता'', तथा ''अनौपचारिक नेता''। बील्स को मैसूर के एक गांव के अध्ययन में दो प्रकार के नेतृत्व का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ ''अनौपचारिक'' नेतृत्व (गांव का मुखिया), पंचायत के लिए चुने गये व्यक्ति तथा परम्परागत नेतृत्व (गांव का जमींदार)। मैकरर्मिक ने अपने मैसूर के एक गांव के अध्ययन में तीन प्रकार के नेतृत्व का उल्लेख किया है। ''परम्परागत'' तथा ''आनुवांशिक'' नेता (गांव की परम्परागत पंचायत के सदस्य, कृषक जाति का मुखिया तथा ''परम्परागत'' अथवा ''अनुवांशिक'' नेता) (गांव की परम्परागत पंचायत के सदस्य कृषक जाति का मुखिया तथा ''पटेल'') जिनका नेतृत्व पर अधिकार आनुवांशिक सिद्धान्त पर आधारित है।

''धनवान नेता जिनका नेतृत्व पर दावा जन्म पर आधारित न होकर धन पर आधारित है तथा ''गुटीय'' नेता जो कि स्वयं के बल पर गुट विशेष का नेतृत्व करते है। आरेनस्टीन ने अपने गांव के अध्ययन के आधार पर नेताओं के औपचारिक तथा ''अनौपचारिक'' स्वरूप को बाद में उन्होंने खण्डों एवं उपखण्डों में विभक्त किया है।

औपचारिक नेता :–

इस श्रेणी में गांव वे सभी नेता आते है जिनकी नियुक्ति संस्थागत नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तगर्त होती है। गांव का प्रधान अध्यापक ग्राम विकास अधिकारी आदि इस श्रेणी में आते है।

अनौपचारिक नेता :–

गांव में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति होते है जिनकी नियुक्ति किसी नियम अथवा प्रक्रिया के द्वारा नहीं होती परन्तु उनका प्रभाव इतना होता है कि वे औपचारिक नेताओं तक को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे नेताओं को आरेनस्टीन ने ''अनौपचारिक नेता'' कहा है। तथा उन्हें भी दो भागों में विभक्त किया हैं –

स्वीकृत नेता

अस्वीकृत नेता

स्वीकृत नेता : ऐसे नेताओं को स्वीकृत नेता कहा गया है जिन्हें गांव के लोग स्वेच्छा से अपना नेता स्वीकार करते है क्योंकि वे गांव के लोगों के सुख–दुख में भागीदार होते हैं। उन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया है।

सक्रिय नेता

निष्क्रिय नेता

सक्रिय नेता :– ये वे स्वीकृत नेता है जो लोगों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहन अथवा किसी कार्य को करने पर रोक लगाना उनकी विशेषता है। इनके पीछे बहुमत का बल होता है। छल, कपट, बल तथा प्रलोभन का भी ये प्रयोग कर सकते है।

निष्क्रिय नेता :– ऐसे नेताओं पर लोग विभिन्न प्रकरणों पर राय करते है उनके आचरण का अनुकरण करते है तथा वे अन्य के लिए प्रेरणा स्त्रोत होते है वे किसी को अपनी बात मानने के लिए बाध्यन नहीं करते। उदाहरण गांव का पुरोहित, सन्त, ज्योतिषी आदि।

अस्वीकृत नेता :– गांव के वे नेता जिनमें विशेष गुण नहीं होते है फिर भी वे अपने बाहुबल के आधार पर नेतृत्व करते हैं। ये भय तथा आंतक के द्वारा अपना काम करते है।

मध्य प्रदेश के एक गांव के अध्ययन के आधार पर भाउस्कर ने नेतृत्व को दो श्रेणियों में विभक्त किया है :– अधिकारिक नेता (चौकीदार, पटवारी आदि) तथा अनाधिकारिक नेता। अनाधिकारिक नेताओं को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है ''औपचारिक'' नेता (धार्मिक नेता गांव के चिकित्सक आदि) ''अनौपचारिक'' नेता (गांव के परम्परागत मुखिया), पंश्चिम बंगाल के एक अध्ययन में चौधरी ने नेतृत्व के दो प्रकारों का उल्लेख किया है। अनौपचारिक नेता जो पंचायत, स्कूल, सहकारी समिति के पदाधिकारी है तथा ''स्वैच्छिक'' नेता जिन्हें श्वेत जैसे संगठनों से सम्बद्ध देखा जा सकता है। दिल्ली के एक गांव के अध्ययन मे मूले ने नेताओं के दो प्रकारों की चर्चा की हैं, ''पारम्परिक'' प्रकार तथा उभरता'' प्रकार। ''पारम्परिक'' प्रकार में उन्होंने उन नेताओं को सम्मिलित किया है जो परम्परागत विशेषताओं के आधार पर नेता बने हैं जैसे जाति आयु आदि। जो नेता पंचायत तथा सहकारी समिति के पदाधिकारी के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व के ''उभरते'' प्रकार में रखे जाते है, दिल्ली के ही दो गांवों के अध्ययन के आधार पर एस.एन.सिंह ने ग्रामीण नेताओं के पांच प्रकार बताए हैंः–

पारम्परिक नेता :– ये गांव के वे नेता है जो पुरानी मान्यताओं जैसे जाति, आयु, भूस्वामित्व आय आदि के आधार पर नेता बन जाते है।

राजनीतिक नेता :– जो राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए राजनीतिक जोड़–तोड़ भी करते है इस श्रेणी में आते है।

मंत्रणा :– ये वे नेता है जो विभिन्न समस्याओं पर विचार करके उनके निराकरण हेतु सभ्यक/सुझाव प्रस्तुत करते हैं।

निर्भयकारी नेता :– ऐसे नेता जो गांव की विभिन्न गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेते हुए भावी कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय लेने की क्षमता रखते है, इस श्रेणी में रखे जा सकते है।

जातीय नेता :– जो नेता किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करते है अर्थात् अपनी जाति के लोगों के हितों तक ही अपने को सीमित कर लेते हैं, ''जातीय'' नेता कहलाते है।

साल्वी तथा पाटिल ने नेताओं को उनके प्रादुर्भाव के आधार पर तीन प्रकारों में विभक्त किया है। ''चुने हुए'' नियुक्त किये गये' तथा समाजमितीय चयन के आधारित नेता।

भारतीय गांवों में किये गये उपरोक्त सभी अध्ययनों में नेतृत्व के विविध प्रकारों की चर्चा की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय गांव के नेता आपस में एक–दूसरे से बहुत अधिक पृथक नहीं है और इसी कारण से उनको वर्गीकृत करना भी बहुत आसान नहीं है।

ग्रामीण नेतृत्व की पहचान :– भारतीय गावों में नेतृत्व के अध्ययन में नेताओंकी पहचान के लिए अन्वेषकों ने प्रमुख रूप से तीन विधियों का प्रयोग किया हैं। यह हैः– लोकमत (कीर्ति) आधारित ''व्यक्तिगत अवलोकन अथवा अनुभव ''आधारित'' तथा समाज मितीय विधि''।

लोकमत (कीर्ति) आधारित विधि का प्रयोग हरजिन्दर सिंह तथा सहाय ने अपने अध्ययनों में किया है। इस विधि में निदर्शन के माध्यम से सूचनादाताओं से प्रश्न किया जाता है कि वे अपने समुदाय के सबसे शक्तिशाली तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम दें। कभी–कभी इस तरीके में काल्पनिक स्थितियों का सहारा भी लिया जाता है। जैसे ''यदि तुम्हारे गांव/नगर में सडक/पाठशाला भवन का निर्माण होना है तो वे कौन से लोग हैं जो वास्तव में इस कार्य को पूरा करा सकते है। ''इस प्रकार जिन व्यक्तियों को एक पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त होता है वे ही गांव के नेता स्वीकार कर लिये जाते हैं।

अवलोकन अथवा अनुभव आधारित विधि का प्रयोग ढिल्लो, साल्वी, बी.एन. सिंह, महेश्वरी तथा सैकिया ने अपने अध्ययनों में किया है। इस विधि में नेताओं की पहचान समुदाय के सदस्यों के प्रत्यक्ष अवलोकन तथा उनके विभिन्न समितियों एवं संगठनात्मक बैठकों में व्यवहार के आधार पर की जाती है साथ ही कभी–कभी समुदाय की समस्याओं के सामाधान के आधार पर भी नेताओं को पहचाना जा सकता है। समाजमितीय विधिका प्रयोग लक्ष्मी नारायण पारीक, मलिक, एस.एल.शर्मा तथा सेन ने अपने अध्ययनों में किया है। इस विधि में सूचनादाताओं से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते है जैसे : आपके समुदाय में सबसे योग्य व्यक्ति कौन है? यदि आपके समुदाय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का सरकार के पास प्रतिनिधित्व करने हेतु चयन किया जाता है तो आप किन्हे चुनना पसन्द करेगे? उत्तरदाताओं से अपनी पसन्द एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में देने को कहा जाता है और इन्हीं के आधार पर समुदाय के नेताओं का चयन किया जाता है।

नेतृत्व के गुण व विशेषताये :–

नेताओं की विशेषताये :– दक्षिण भारत के एक गावं के अध्ययन में ढिल्लो ने एक नेता के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना है वे है प्रतिष्ठित तथा उच्च स्तरीय परिवार, अधिक भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अधिक आयु बोलने एवं निर्णय लेने की क्षमता, अथिती सत्कार की भावना सार्वजनिक कार्यों में रूचि, बाहरी लोगों से सम्बन्ध तथा बडा परिवार। बम्बई के एक गांव में साल्वी ने सामाजिक तथा वैंयक्तिक दोनों ही प्रकार की विशेषताओं को नेतृत्व के लिये आवश्यक पाया है। सामाजिक विशेषताओं में उन्होंने शिक्षा, जाति, आर्थिक स्तर आदि को सम्मिलित किया है। वैयक्तिक विशेषताओं में वे विश्वास, सहानुभूति, उत्साह धार्मिकता तथा सादा जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेविस ने उत्तर प्रदेश के एक गांव के अध्ययन के आधार पर एक नेता में जिन गुणों की उपेक्षा की है वे है, सम्पत्ति परिवारिक कीर्ति आयु व्यक्तित्व के गुण शिक्षा, बहारी लोगों से सम्बन्ध तथा परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या उत्तर प्रदेश के एक गावं के अध्ययन में मजूमदार ने सम्पत्ति ईमानदारी, दयालुता तथा श्रेष्ठ परिवार को नेतृत्व के आधार के रूप में स्वीकार किया है। उत्तर भारत के एक गांव के अध्ययन में हिचकाक ने पाया कि नेतृत्व के लिए आयु महत्वपूर्ण नहीं है वरन् उच्च जाति तथा प्रशासन से घनिष्ठ सम्बन्ध की महत्ता कहीं अधिक है। एडवार्ड तथा हार्पर ने मैसूर के एक गावं के अध्ययन में पाया कि जाति की नेतृत्व निर्धारण में अहम भूमिका है। आन्ध्र प्रदेश के एक गांव में बेन हीमर ने पाया कि सम्पत्ति तथा उच्च जाति गांव के नेतृत्व को निर्धारित करती है। आरेनस्टीन ग्राम नेतृत्व के लिए शिक्षा, जाति तथा आर्थिक स्तर को महत्वपूर्ण मानते है। नेतृत्व के विकास के अध्ययन में राम–शंकर ने एक नेता में ईमानदारी, सेवा की भावना निष्कपटता, धैर्य आशावादिता आदि गुणों को आवश्यक माना है। इसी पकार कर्वे दाम्ले ने आयु, परिपक्वता, दूसरो की सहायता, शिक्षा, आचरण सम्बन्धित गुणों को सम्मिलित किया है। पांडे तथा जैन के अनुसार अधिकांश चुने हुऐ नेता बडे भू स्वामी, व्यापारी तथा उच्च जातियों से सम्बद्ध थे। ग्रामीण नेतृत्व निर्देशित परिवर्तन के सन्दर्भ में श्रीवास्तव ने पाया कि अधिकांश नेता उच्च वर्ग, उच्च आयु समूह के थे। इसी प्रकार इन्द्रा सिंह ने एक श्रेष्ठ नेता के गुणों में ईमानदारी, अभिलाषा, साहस, दूरदर्शिता, कल्पना शक्ति, निःस्वार्थता, नम्रता, उदारता, भेदभाव रहित तथा कानून से भिज्ञता को आवश्यक माना है। साल्वी तथा पाटिल ग्राम नेतृत्व के लिए उच्च आर्थिक तथा पारिवारिक स्तर नगरीय सम्पर्क, लोगों को प्रभावित करने वाली वैयक्तिक विशेषताये सहभागिता औपचारिक शिक्षा को आवश्यक मानते है।

नेतृत्व शैली के आधार पर नेतृत्व दो प्रकार का हो सकता है :–

लोकतन्त्रीय नेतृत्व :– लोकतंत्र नेतृत्व का रूवरूप सत्तावादी तथा एकाधिकारवादी न होकर सहभागी या परामर्शात्मक होता है। इन नेताओं की लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था में आस्था होती है। लोकतांत्रिक नेता का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण शक्ति को नेता अपने हाथों में न रखकर आवश्यकतानुसार दूसरो में बांटने में विश्वास करता है। वह न्याय, कानून और सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण समर्थक होता है तथा प्रत्येक कार्य में समूह के अधिकाधिक सदस्यों की सहमति व सहयोग प्राप्त करने एवं बहुमत की इच्छा को मानकर चलने में विश्वास करता हैं। इस प्रकार के नेतृत्व में सम्पूर्ण शक्ति जनता नेता को देती है, लेकिन अंतिम सत्ता जनता में ही निहित होती है। काट्ंज ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि समाज के अधिकांश लोग नेतृत्व के लोकतांत्रिक रूप को अधिक पसन्द करते है क्योंकि इसमें समान अवसर और जनहित को प्राथमिकता दी जाती है।

वर्तमान समय में अधिकाशं देशों में लोकतांत्रिक नेतृत्व ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्रकार के नेतृत्व में सभी को मताधिकार मिलता है तथा मताधिकार में वर्गभेद, जाति, भेद, रंगभेद और लिंगभेद नहीं पाया जाता। हेमेन ने लोकतांत्रिक नेतृत्व को ही नेतृत्व का सही रूप माना है। भारत में स्वर्गीय पं. नेहरू, श्री शास्त्री और श्रीमती गांधी के नेतृत्व को लोकतांत्रिक नेतृत्व का अच्छा उदाहरण माना जात सकता है।

निरंकुश नेतृत्व :– निरंकुश नेता को अकसर तानाशाह की संज्ञा दी जाती है। ऐसे नेता अपने मन के राजा तथा स्वेच्छाचारी होते है एवं वे वही करते है। जो स्वयं को ठीक समझते है उन्हें जनता की भावनाओं एवं आवश्यकताओं की कोई परवाह नहीं होती है। सर्म्पूण शक्ति, प्रभुत्व व संख्या इसी के पास होती है, उसे समाज के कार्यो का निर्णायक, नियामक, अधिकारी और दण्डाधिकार सभी कुछ माना जाता है। लारसन के ''मतानुसार यह अपने कार्यो का निर्धारण स्वेच्छा से करते है तथा कार्यो में किसी प्रकार का परिवर्तन पसन्द नहीं करते।'' पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति अयूब खां, याहिया खां, जर्मनी का सर्वेसर्वा हिटलर और इटली का मुसोलिनी ये सब निरंकुश नेतृत्व के उत्तम उदाहरण है।

''एलिस इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज वोल्यूम'' के अनुसार निरंकुश नेता की शक्ति बाह्य तत्वों पर आधारित नहीं होती, वरन् राज्य शक्ति से वह शक्ति प्राप्त करता है उसकी राजनैतिक शक्ति सर्वोच्च, सम्पूर्ण और सीमा रहित होती है। ऐसे शासन और ऐसे नेता विश्व में कभी–कभी होते है जिनका अस्तित्व बहुत समय तक नहीं रहता ऐसे शासन व नेता उसी समाज और देश में पनप पाते है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और बौद्धिक रूप से पिछडा हुआ हो।

निरंकुश नेतृत्व में नेता शासन या सरकार के हित को जनता के हित के बढ़कर मानता है। ऐसे नेता हिंसा, पुलिस तथा सैनिक शक्ति के बल पर शासन करते है। जनता की इच्छा या लोकप्रियता के आधार पर नहीं वर्तमान समय में इस तरह का नेतृत्व लगभग समाप्त हो गया है क्योंकि आज के विश्व में अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है।

भारत में ग्रामीण नेतृत्व :– भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निरंकुश या लोकतांत्रिक नेतृत्व के विरूद्ध प्रतिमानों में नहीं रखा जा सकता। इसे निम्नलिखित दो अन्य स्वरूपों में रखा जाना चाहिए। पारम्पारिक एवं विकासोन्मुख नेतृत्व पारम्पारिक। नेतृत्व प्रदत्त्त गुणों पर आधारित होता है जैसे जाति, वंश, आयु, लिंग, सम्पति तथा प्रभाव आदि। दूसरी और विकासोन्मुख नेतृत्व में अर्जित गुण अधिक होते है जैसे शिक्षा, कौशल, सम्पर्क क्षमता, सक्रियता आदि। उपर्युक्त प्रतिमानों के आधार पर विकासोन्मुख नेतृत्व लोकतांत्रिक अधिक होता है। साथ ही इसमें पिछडे समाज के विकास की क्षमताऐं भी होती है।

ग्रामीण नेतृत्व को पूर्ण रूप से समझने के लिए परम्परागत या विकासोन्मुख नेतृत्व के आधारो ंको निर्धारित करना आवश्यक है। परम्परागत ग्रामीण नेतृत्व के प्रमुख या निर्णायक आधार, पुरूष प्रधानता, जाति का उच्च स्तर, परिवार की प्रस्थिति जिसमें उसका बडा आकार, उच्च स्तर, उच्च आर्थिक स्तर, पीढीगत प्रतिष्ठा, परम्पराओं का ज्ञान बडी आयु आदि शामिल है। बहुमुखी व्यक्ति विशाल सम्पर्क तथा शिक्षा और पारम्परिक गुण है जो धीरे–धीरे ग्रामीण नेतृत्व में शामिल हो रहे है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण समाज के सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक ढांचे से जुडे हुए मूल्यों एवं मान्यताओं में बहुत परिवर्तन आया है। ग्रामीण स्तर पर अनेक कानूनों विकास योजनाओं एंव अनेक नवाचारों जैसे ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मतदान का अधिकार आदि ने भारतीय गांवों के नेतृत्व में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण नेतृत्व के नये प्रतिमान एवं आधार उभरकर सामने आये है। अब

परम्परागत एवं वंशानुगत नेतृत्व में समता का सिद्धान्त अपनाया जाता है, सभी व्यक्तियों, वर्गो एवं समुदायों को समता का दर्जा दिया जाता है, किसी धर्म, जाति, व्यवसाय, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी प्रकार के लोगों का नेतृत्व के क्षेत्र में समान अधिकार होता है। लोकतात्रिक नेतृत्व में केवल अधिकारो पर ही नहीं जोर देते वरन् कर्तव्य पालन पर भी मत देने से लेकर चुनाव लडने का तथा सभी प्रक्रियाओं में योग्यता का आधार मानकर समता का अधिकार है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में सार्व प्रतिनिधित्व को प्रमुख महत्व दिया जाता है।

जिसमें प्रत्येक जाति या सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व देखने में आया है। अमीर, गरीब, उच्च, निम्न का अंतर नहीं है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में अधिकता उच्च वर्ग की बजाय मध्यम वर्ग की है, केवल धनी वर्ग की नहीं है। आज जमीदारी प्रथा तथा आर्थिक सम्पन्नता प्रभावहीन हो रही है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में उच्च जातियों का प्रभाव भी क्षीण हो गया है, आरक्षण के जरिये निम्न जातियां अपना वर्चस्व बनाये हुए है। नेतृत्व उच्च जातियों बड़े–बड़े भू–स्वामियों, साहूकारों के हाथ में से किसानों कारीगरों कम आयु वाले व श्रमिकों के हाथों में आ रहा है, लोकतांत्रिक प्रणाली में नेतृत्व का निर्धारण आर्थिक सम्पन्नता से नहीं होकर अन्य राजनैतिक गुण एवं अनुयायियों के बहुमत से होता है।

शैक्षणिक स्तर :– शिक्षा व्यक्ति का सामाजिकरण करके उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा का मानव जीवन में महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहु–आयामी बनाकर उसे समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बना देती है। व्यक्ति का अशिक्षित तथा शिक्षित होना उसका कम अथवा अधिक शिक्षित होना उसकी नेतृत्व क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ग्रामीण शक्ति संरचना तथा नेतृत्व के निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आधारों में परिवर्तन हुये है। स्वाधीनता आंदोलन के दोरान यह अनुभव किया गया कि शक्ति संरचना के परंपरागत आधार गांवों मे सामाजिक आर्थिक सम्बंधों को रूढ़िवादी तथा शोषण आधारित बनाने के लिये उत्तरदायी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नयी सरकारों ने इन स्वरूपों मे परिवर्तन के प्रयास किये है। प्रथमतः जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबलीकरण की औपचारिक संस्थागत प्रणाली के रूप में पंचायत राज प्रणाली को लागू किया गया जिसमें सत्ता का त्रिस्तरीय विकेंद्रीकरण ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के रूप में कर जमीनी लोकतंत्र को मूर्त रूप देने का सकारात्मक प्रयास किया गया। तत्पश्चात जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके, मध्यस्थों को समाप्त करते हुए। कृषकों को सीधे राज्य के अधिकार में ला दिया। राजस्थान में यह दोंनो कार्य क्रमशः पंचायत राज अधिनियम 1948 तथा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 के माध्यम से प्रथम बार गांवों में शक्ति संरचना के व्यक्थित आधार का सूत्रपात हुआ। व्यस्क मताधिकार, ग्रामीण व्यवस्था में स्त्रियों सहित कमजोर तथा उपेक्षित वर्गों की सहभागिता ग्राम पंचायतों की कार्यवाही को लिखित स्वरूप प्रदान करना तथा पंचायत राज्य की प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था से सम्बद्वता ऐसे महत्वपूर्ण कदम थे। जिन्होंने ग्रामीण जीवन को नयी दिशा दी। राजनीतिक सत्ता के हस्तान्तरण के साथ ही आर्थिक ओर सामाजिक सत्ता का हस्तान्तरण हुआ। आर्थिक सत्ता को सहकारिता के माध्यम से परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार गांवों में शक्ति–संरचना के परम्परागत आधारों में परिवर्तन विकासोन्मुखी इकाइयों के माध्यम से लाया गया। 1951 के जमीदारी उन्मूलन अधिनियम ने ग्रामीण लोकतात्रिकरण के मार्ग के अवरोधों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत मध्यस्थों का उन्मूलन कर कृषकों को सीधे राज्य से सम्बद्ध कर दिया गया जिससे उन्हें जमींदारों, जागीरदार, लम्बकारों मुखिया तथा बडें किसानों के शोषण से मुक्ति मिली। गांव की सार्वजनिक सम्पति तलाब, परती भूमि, चारागाह आदि जो पहले जमीदारों के अधिकार में थे। अब वे गांव की सामूहिक सम्पत्ति घोषित कर दिये गये इस प्रकार गांवों में अधीनता व आधिपत्य पर आधारित समाज व्यवस्था के स्थान पर समतावादी प्रतिमानों के पादुर्भाव की सम्भावनायें प्रबल हुई गांव में अनुशासन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध जातीय पंचायतों का अस्तित्व भी अब समाप्त हो गया क्योंकि इनमें निहित प्रशासनिक न्यायिक तथा दण्डाधिकार ग्राम पंचायतों तथा शासन द्वारा स्थापित न्यायालयों को हस्तान्तरित हो गये। जातीय व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करने वाली नयी संवैधानिक स्थितियों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपयुक्त प्रयासों के अतिरिक्त भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप स्थापित कल्याण राज्य ने गांवो के शोषित व उत्पीडित वर्गो के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात किया जिसमें 2 अक्टूबर 1952 को प्रारम्भ किये गये

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का अपना विशेष महत्व है। भारत सरकार ने बलवन्त राय मेहता कमेटी 1957 की अनुशंसाओं को स्वीकार कर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को जनता का कार्यक्रम बनाने हेतु उसका लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण कर दिया। फलतः इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों विकास खण्डस्तर पर क्षेत्र समितियों तथा जिला स्तर पर जिला परिषदों को दे दिया गया। उक्त संगठनों का उत्तरदायित्व जन प्रतिनिधियों के हाथ में होने के कारण जहां एक ओर इन कार्यक्रमों द्वारा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हुआ वहीं दूसरी ओर ग्रामीण समुदायों में शक्ति संरचना को नया स्वरूप प्रदान करने में इनकी भूमिका सकारात्मक हो गई। सामुदायिक विकास क्रार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम व विकास खण्ड स्तर पर कुशल और उत्साही व्यक्तियों को अपने समूह को नेतृत्व देने का अवसर प्राप्त हुआ। उक्त परिस्थितियों ने ऐसे नेतृत्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो व्यक्ति के स्वयं अर्जित गुणों पर अधिक निर्भर हो सके। इस संशोधन के द्वारा स्थानीय प्रशासन में सहभागिता हेतु अनुसूचित जातियों जनजातियों, पिछडी जातियों एवं महिलाओं के स्थान आरक्षित किये गये। फलतः अब ग्रामीण शक्ति संरचना नेतृत्व में परिवर्तन का एक नया अध्याय जुड़ गया है।

संक्षेप में ग्राम पंचायतों के पुर्नगठन जमीदारी व्यवस्था के उन्मूलन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को बल मिला जिससे परम्परागत ग्रामीण शक्ति संरचना तथा नेतृत्व में मौलिक परिवर्तनों का सूत्रपात हुआ। परिवर्तित प्रस्थितियों में नेतृत्व के नए प्रतिमान उभर कर आए हैं। प्रथम नेतृत्व की दृष्टि से ग्रामीण जीवन में शक्ति के दो ही स्त्रोत प्रमुख रहे हैं। जन्म ओर कर्मकाण्ड आधारित श्रेष्ठता की अपेक्षा संख्या बल का महत्व शक्ति संरचना में तीव्र गति से बढा है। किन्तु प्रभुत्व जातियों के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता है चाहे व परोक्ष रूप में ही क्यों न हो। अनेक अध्ययन यह भी स्पष्ट करते हैं कि नवीन ग्रामीण शक्ति संरचना में राजनीतिक दलों की भूमिका भी प्रभावी होती जा रही है राजनीतिक दल गांव की जाति संरचना की दृष्टि से अपनी राजनीतिक गतिविधियों के समीकरण तैयार करते हैं। जिसमें संख्या बल के आधार पर जाति विशेष को शक्ति संचरना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता हैं।

भारत में सविंधान के अन्तर्गत जिन नवीन लोकतान्त्रिक धर्म निरपेक्ष एवं समता आधारित शक्ति–संरचना को विकसित करने का प्रयास किया गया उसमें आंशिक सफलता तो मिली किन्तु शक्ति संरचना को प्रभावित करने वाले परम्परागत कारकों का अस्तित्व पूर्ववत न सही, सूक्ष्माशं महत्व अवश्य बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि परम्परा का अन्त बहुत कठिन होता है। ग्रामीण शक्ति संरचना के सम्बद्ध में भी वास्तविकता यह है कि उसमें कुछ बाह्य परिवर्तन तो हुए हैं परन्तु उसका आन्तरिक स्वरूप भी परम्परा के अधिक निकट है।

यदि पहले उच्च जातियों का वर्चस्व जातीय श्रेष्ठता के आधार पर बना हुआ था तो अब वे प्रभुत्व जाति के रूप में (संख्या के आधार पर आर्थिक संसाधनों पर नियन्त्रण) राजनीतिक क्रियाकलापों चुनावों सहित विभिन्न गतिविधियों को प्रभातिव कर रहे हैं।

उक्त परिस्थितियों में ग्रामीण शक्ति संरचना के अन्तर्गत एक ऐसे प्रच्छन्न नेतृत्व का विकास हुआ है जो कभी किसी एक वर्ग की शक्ति को बढा देता है तो कभी दूसरे वर्ग की। फलतः ग्रामीण शक्ति संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि व पहले जितनी स्थिर थी आज वह उतनी ही अस्थिर हो गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Books

1. Beals, A.R. (1959), "Leadership in Mysore Village " Bombay.
2. Beteill, Andre (1969) "Cast class and power " Oxpord Universty Press Bombay.
3. Bachenheimer, R. (1959) "Element of leadership in an Andhra village"" University press.
4. Dhillon, H.S. (1955) "Leadership and Groups in south indian Village" Delhi.
5. Edward, B and Harper, (1959) "Political Organisation and Leadership in a karnataka village in leadership and political instution in india.

6. Hitchcock, J.T. (1959) "Leadership in a North Indian village", two case Studies, in Leadership and Political Institution in Indian op University.
7. Karuve, I and damle y.b. (1963) "Group relations in a village community" Poona.
8. Mccormack, W, (1959) "Factionalism in a Mysore Village", in Leadership and Political Institution in India
9. Maheshawari, B. (1963) "Leadership patterns in a Rajasthan village" Studies in Panchayati Raj Delhi,.
10. Majumdar, D.N. (1958) "Caste and communication in an indian village" aasia pub. House Bombay.
11. Orenstein (1999) "Leadership and caste in Bombay village " in Leadership and Political Instutins in India.
12. Singh, H. (2005) "Village Leadership A case study of village in Punjab Jalandher".
13. Singh, B.N. (1960) "Leadership in two north Indian village" in studies in rural leadership,.
14. Singh Indra, (1967) "Leadership in a Sikh Village" in Leadership in India (ed) Oxford University.
15. Shrivastav, S.K. (1965) "Directed Social Change and Rural Leadership In india " in Emerging patterns of Rural Leadership in Southern Asia, Oxford University.

Journals & Articles

1. Barnabars, A.P. (1958) Who are the village Leader's Kurushkshetra, Vol 6, No. 7,
2. Dhillon, H.S. (1955) "Leardership and Groups in south Indian Village" Delhi,
3. Mulay, Sumati, (1966) "Acomparative study of Traditional and Emerging Patterns of Leadership in a north Indian village", Journal of Extension Education Vol. 1, No.4,.
4. Pande, B.M. and Join, P.N., (1966). "Rural leadership differentials emerging petterns, " Kuruskshetra vol. 14, No.4,
5. Salvi P.V. (1968) "Rural Local Leadership's" Rural India Vol. 31, No. 9.
6. Shanker R, (1962) "Development of Leadership" Kurukshetra Vol. 10, No.8, .